

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ 130 /2024

दिनांक : 31.05.2024


श्रीमती बीना जैन (RJ00307), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी प्रदार्थ मामलात, झालावाड़ को दिनांक 03.06.2024 से 12.07.2024 तक 40 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 02.06.2024 एवं 13.07.2024 से 14.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती जैन की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी प्रदार्थ मामलात, झालावाड़ के पद पर ही होने की संभावना है।

NOTE:- श्रीमती जैन ने प्रथम 365 दिनों के संतान परवरिश अवकाश का उपभोग कर लिया है। अतः श्रीमती जैन के उपरोक्त वर्णित संतान परवरिश अवकाश के वेतन का आहरण State Govt. Notification No. F.1(6) FD/Rules/2011 dt. 31.07.2020 & P.I/31/2020 dt. 27.10.2020 के अनुसार 80 % ही किया जाएगा।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/10/2000/ 4563

दिनांक : 31.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी प्रदार्थ मामलात, झालावाड़ को उनके पत्रांक 94 दिनांक 18.05.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती बीना जैन (RJ00307), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी प्रदार्थ मामलात, झालावाड़।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़।


31/5/2024
सहायक रजिस्ट्रार